लोकमित्र जेंडर पॉलिसी

लोकमित्र में जेंडरगत न्याय और समानता के प्रति कटिबद्धता को दो स्तरों पर परिभाषित किया जा रहा है। एक संस्थागत स्तर पर तथा दूसरा कार्यक्रम स्तर पर।

संस्थागत स्तर पर

1. **स्टॉफ पॉलिसी** – स्टॉफ पॉलिसी, सेवा नियमावली व आचार संहिता आदि सारे दस्तावेज जेंडर संवेदनशील होंगे। इन दस्तावेजों का जेंडर संवेदनशीलता को बनाये रखने के लिए समय–समय पर वार्षिक समीक्षा जेंडरगत नजरिये से की जायेगी।
2. **जेंडर संवेदनशील माहौल** – लोकमित्र कार्यस्थल पर जेंडर संवेदनशील माहोल बनाये रखने के लिए कटिबद्ध होगा। इसी कम में समय–समय पर कार्यकर्ताओं हेतु बैठके, कार्यशालायें व एक्सपोजर विजिट आदि के कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेगें।
3. **नियुक्ति** – लोकमित्र में कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु जेंडर संवेदनशील पॉलिसी होगी, जिसके तहत महिला कार्यकर्ताओं को वरीयता दी जायेगी। कार्यकर्ता हेतु चयन के दौरान महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को वरीयता दी जायेगी। संस्था कार्यकर्ताओं में महिला व पुरूष का अनुपात न्यूनतम 40:60 का हरेक स्तर पर होगा। यथासम्भव अनुपात को बराबर रखने पर प्रयास किया जायेगा।
4. **मानदेय व जिम्मेदारियां** – विशेष परिस्थितियों में महिला कार्यकर्ताओं का मानदेय उसके साथ के पुरूष सहकर्मी से तुलनात्मक रूप से अधिक हो सकता है। नियुक्ति के बाद संस्था व टीम में जिम्मेदारी का बॅटवारा क्षमता तथा अनुभव के आधार पर किया जायेगा न कि महिला व पुरूष होने के आधार पर।
5. **दो पहिया वाहन** – संस्था में दो पहिया वाहन खरीदते समय महिलाओं की सुविधा/असुविधा का ध्यान रखा जायेगा। एक समय में संस्था के पास कम से कम आधी दो पहिया वाहन ऐसे होंगे जिसे महिलाएं आसानी से इस्तेमाल कर सके। महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले गाड़ियो की मरम्मत व मैनटीनेन्स का जिम्मा कार्यालय सपोर्ट टीम का होगा। महिला को कार्यशाला तक जाने की जरूरत नही होगी।
6. क्षेत्र स्तर की महिला कार्यकर्ता व अनुसूचित समूह में आने वाले पुरूष कार्यकर्ता जिसका वार्षिक मानदेय 36 हजार या उससे कम हैं, उसके गम्भीर रूप से बीमार पड़ जाने के स्थिति में वर्ष में एक बार सलाना आय का दस प्रतिशत तक संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
7. कार्य करने वाले महिला व पुरूष कार्यकर्ताओं को उनके क्षमतावृद्धि हेतु समान अवसर दिये जायेगें। बाहरी व आंतरिक दोनों तरह के अवसरों पर। बाहरी क्षमतावृद्धि अवसरों में भाग लेने हेतु महिला यदि किसी को सहयोगी की आवश्यकता है तो उसके यात्रा व्यय का भुगतान संस्था द्वारा किया जायेगा।
8. महिलाओं के लिये 3 माह का मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रथम दो बच्चों के जन्म पर दी जायेगी। पुरुष कार्यकर्ताओं के लिये 10 दिन तक का पितृत्व अवकाश प्रथम दो बच्चों के जन्म पर दी जायेगी।

9. लोकमित्र में संस्था स्तर कमिटि फौर जेंडर एवेयरनेस एन्ड मेनस्ट्रीमिंग (सीजीएएम) होगी जिसे के नाम से जानी जाएगी। जो कि कैस, जेंडर, एचआईवी/एड्स, मेनस्ट्रीमिंग के लिये जिम्मेदार होगी। इस कमेटी की अगुवाई महिला करेगी तथा इसमें महिला व पुरूषों अनुपात 60:40 होगा।

   कार्यकाल के दौरान संस्था के अन्दर महिला पुरूष के बीच यौनिक शेाषण की यौन हिंसा प्रतिरोध नीति के तहत गठित कमेटी को की जायेगी जो कि विवाद को समझने तथा कारवायी करने की अनुशंसा मुख्य कार्यकारी को करेगी। संस्था के समान्य कार्यकाल के बाद होने वाले किसी भी विवाद के निपटारे में संस्था की कोई भूमिका नही होगी।

10. परफॉरमेंस रिव्यू हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले फॉर्मेट में जेंडर संवेदनशीलता का भी आकलन किया जायेगा।

11. कार्यकर्ताओं के आवासीय कार्यशालओं व कार्यक्रमों के दौरान छोटे बच्चों के देखभाल हेतु उपयुक्त व्यवस्था का प्रयास किया जायेगा।

12. एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति के साथ कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किया जाएगा। उसे सामान्य रुप से कार्य करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

कार्यक्रम स्तर पर

1. संस्था द्वारा किये जाने वाले हरेक कार्यक्रम में जेंडर पहलू समाहित होगा।
2. आमतौर पर कार्यक्रम संचालन में महिला व पुरुष की बराबर भागिदारी होगी।
3. हरेक हितगामी समूह में महिलाओं के अनुपात का बढाने पर ध्यान रखा जायेगा।
4. लोकमित्र कार्यक्रम के हरेक स्तर पर जैसे– प्लानिंग, कियान्वयन तथा मॉनिटरिंग में जेंडरगत पहलू पर ध्यान रखेगा। मॉनिटरिंग तथा प्रगति आकलन हेतु बनाये गये फारमेट में जेंडर के सापेक्ष मापदण्ड होंगे।
5. आयोजित बैठकों, कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षणों में जेंडर पहलु का समावेश होगा।
6. सारे रिपोर्ट समीक्षा व मूल्यांकन मे जेंडर पहलू पर प्रकाश डाला जाएगा।
7. आवासीय कार्यशालओं व कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों के छोटे बच्चों के देखभाल हेतु उपयुक्त व्यवस्था किया जाएगा।
8. एचआईवी/एड्स पर हरेक कार्यक्रम में थोडे समय के लिए बात किया जाएगा। इसे अलग से कार्यक्रम बनाने पर विचार किया जाएगा।
9. उपरोक्त सारे बिन्दुओं तथा सम्पूर्ण रूप से लोकमित्र में आंतरिक तथा वाह्यय परिक्षेत्र में जेंडरगत समानता के लिये सीजीएएम कमेटी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

अनुमोदन में प्रबंधकारिणी सदस्यों का हस्ताक्षर

MDubey

राजेश कुमार, मुख्यकार्यकारी